1620 Chas No - 24 1519

भारतीय गैर न्यायिक

पाँच रुपये FIVE RUPEES

रु.5 Rs.5

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

अधिनियम 1899 की अनुसूची। संख्या..........
के अधीन यथा झारखण्ड JHARKHAND राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग की अधिसूचना संख्या 499 एवं 500 दिनांक 19.06.17 के आलोक में
। या स्टाम्प शुल्क से..............विमुक्त है।

03AA 29238

मूल्यांकन जांचा

निबंधन पदाधिकारी
बोकारो
29/4/19

(1)

## "केवाला दलिल"

**लेख्यकारीगणः–** 1. **श्री वैद्यनाथ चक्रवर्ती**, आधार संख्या–9966 6807 3682, 2. **श्री काशी नाथ चक्रवर्ती**, आधार संख्या–7942 1738 8400, **पिता–स्व0 विश्वनाथ चक्रवर्ती पितामह–स्व0 ओमिया गोपाल चक्रवर्ती**, जाति–ब्राह्मण पेशा–व्यवसाय निवास स्थान–मेन रोड़ चास, पो0 वो थाना–चास, जिला–बोकारो, झारखंड। (सी0एन0टी0 एक्ट की धारा 46 (1) बी के दायरे से बाहर है।)

**लेख्यधारीः–** **श्रीमती रीता देवी पति–श्री सरयू प्रसाद एवं पिता–स्व0 बचु महतो तथा पितामह–स्व0 शोभी महतो**, जाति–कोयरी पेशा–गृहणी स्थाई निवास स्थान–झुनाठी, पो0–अराढी, थाना–मुफसिल, जिला–नवादा, बिहारव वर्तमान निवास स्थान–सेक्टर 12/बी, बी0एस0सिटी, जिला–बोकारो, झारखंड। भारतीय। आधार संख्या–3936 4363 7494

**लेख्यप्रकारः–** बिक्रय पत्र केवाला दस्तावेज।

**मूल्यः–** बिक्रीत सम्पत्ति का मूल्य 3,00,000 (तीन लाख) रूपये मात्र। मौजा ***"तेलीडीह"*** के अन्दर रकवा **1.70 डि0 (एक दशमलव सात शून्य डिसमिल)** मात्र। जिसका सालाना मालगुजारी 05 पैसा मात्र, मालिक जमीनदार झारखंड सरकार, अंचल कार्यालय चास।

**जमीन किस्मः–** कच्चा रास्ता के किनारे आवासीय योग्य खाली जमीन है। वार्ड नं0 **24** अंचल कार्यालय चास में अवस्थित है। होल्डिंग नं0–0240000230000M0, है।

दस्तावेज में अंकित खाता/प्लॉट अंचल से प्राप्त सूची से बाहर है।

दस्तावेज में अंकित प्लॉट भूमि से बाहर है

(2)

<u>तफशील सम्पत्तिः–</u> जिला बोकारो सदर सब रजिस्ट्री ऑफिस बोकारो, चास थाना चास के अन्तर्गत 34 नं0 थाना भुक्त मौजा ***"तेलीडीह"*** के अन्दर हमलोगों के पिता के ससुर स्व0 फकीर चन्द्र घोषाल के पितामह स्व0 जगत चन्द्र घोषाल के नाम से पड़चा भुक्त सम्पत्ति होता है, जो कि आपसी बंटवारा में हमलोगों के निज नाम से बंटन प्राप्त, जो विगत दिनांक 24/02/1982 को सभी हिस्सेदारो में रजिष्टर्ड बटवारा हुआ जिसका बंटननामा संख्या 2713 है। उक्त श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती के मृत्यु के पश्चात् उनके अंश के अधिकारी उनके दो पुत्र श्री वैद्यनाथ चक्रवर्ती वो श्री काशीनाथ चक्रवर्ती है, जो आज के विक्रेतागण है। इस बंटननामा के आधार पर मौजा तेलीडीह के अन्दर खाता नं0 **24 (चौबीस)** शामिल खास दखल की प्लॉट नं0 **1026 (एक हजार छब्बीस)** कुल रकवा 26 डि0 में से रकवा 13 डि0 विश्वनाथ चक्रवर्ती के हिस्से में प्राप्त हुआ। उक्त स्व0 विश्वनाथ चक्रवर्ती के मृत्यु के पश्चात् उनके अंश के अधिकारी उनके दो पुत्र श्री वैद्यनाथ चक्रवर्ती वो श्री काशीनाथ चक्रवर्ती है, जो आज के लेख्यकारीगण है। उपरोक्त जमीन शिव नगर कॉलोनी, तेलीडीह टाँड़, पो0 नारायणपुर, थाना चास, जिला बोकारो, में अवस्थित है, इसमें से नक्शा मुताबिक निजांश रकवा **1.70 डि0 (एक दशमलव सात शून्य डिसमिल)** जमीन मात्र आज आपके हाथ केवाला बिक्री किया एवं आज ही से दखल कब्जा दे दिया। जिसका चौहद्दीः–

| | |
|---|---|
| उत्तर–संगीता सिंह | दक्षिण–पंकज कुमार |
| पूरब–सुधा कुमारी | पश्चिम–17 फीट प्रस्तावित रास्ता विश्वनाथ पथ |

जो कि दस्तावेज के साथ नत्थी किया हुआ नक्शा "D4" चिन्हित जमीन लाल रंग से रंगा हुआ दर्शाया गया है। रजिस्ट्रर II का भोलुम नं0 03, पेज नं0 696 में दर्ज है एवं मालगुजारी वसुल है।

लेख्यकारीगण ने आज दिन तारीख को लेख्यधारी से निम्न गवाहों के समक्ष मूल्य का कुल रूपये नगद भुगतान पाकर मोवजी रकवा **1.70 डि0 (एक दशमलव सात शून्य डिसमिल)** जमीन मात्र, लेख्यधारी के हाथ केवाला बेचा वो आज दिन तारीख से दखल देकर मालिक बना दिया। उक्त जमीन का मूल्य बावत भारतीय स्टेट बैंक का चेक संख्या 757417 के द्वारा 1,00,000/– रूपये एवं चेक संख्या 757418 के द्वारा 1,00,000/– रूपये एवं चेक संख्या 757419 के द्वारा 50,000/– रूपये एवं चेक संख्या 757420 के द्वारा 50,000/– रूपये, कुल चार चेकों के द्वारा 3,00,000/– रूपये सम्पूर्ण प्राप्त किये।

<u>**लेख्यकारियों का वंशावली**</u>

विश्वनाथ चक्रवर्ती

| | |
|---|---|
| वैद्यनाथ चक्रवर्ती<br>लेख्यकारी–1 | काशीनाथ चक्रवर्ती<br>लेख्यकारी–2 |

रीता देवी

(3)

चूँकि बिक्री केवाला दस्तावेज का विवरण यह है कि तफशील प्रकाशीत सम्पत्ति लेख्यकारीगण के पैतृक निजांश दखलीकार सम्पत्ति होता है, जो कि उक्त तफशील प्रकाशित सम्पत्ति की उचित मूल्य 3,00,000/— (तीन लाख) रूपये हमलोगों के अन्यान्य आवश्यक खर्चो के लिए आज आपसे ग्रहण करके यह केवाला दलिल के द्वारा तफशील प्रकाशित सम्पत्ति आपके हाथ बिक्री किया, और बिक्रीत सम्पत्ति से हमलोग उत्तराधिकारी स्थानापन्नों ने सदा के लिए सम्पूर्ण रूप से निःस्वत्व होकर इसका सब कुछ हक अधिकार दखल कब्जा यानी पूरा—पूरा मिलकीयत आपके हाथ हस्तान्तर कर दिया।

आप आज तारीख से उपरोक्त सम्पत्ति पर हमें हर प्रकार की स्वत्व से सम्पूर्ण स्वत्ववान और दान बिक्री हस्तान्तर आदि हर प्रकार की मालिक बनकर सालाना मालगुजारी उपरोक्त हिसाब से साल—साल मालिक जमीनदार झारखंड सरकार को बराबर आदाय देकर हमलोगों के नाम खारीज कराकर आप अपने नाम से चेक दाखिला ग्रहण करके उक्त बिक्रीत सम्पत्ति पर आप अपने इच्छानुसार वंश परमपरा में परम सुख से भोग दखल करते रहेंगे, तथा इसमे हमलोग या हमलोगों के उत्तराधिकारियों में से किसी का कुछ भी हक और अधिकार न होगा, करने पर भी बिलकुल नाजायज समझा जाएगा।

प्रकाश रहे कि बिक्रीत सम्पति सम्पूर्ण रूप से निर्दाय और निर्विवाद अवस्था में है, इस पर कुछ भार या दाय संयोग हस्तान्तर या बेनामी आदि किया हुआ नही है फिर भी किसी प्रकार की त्रूटी रहना प्रमाण हो तो हमलोग उत्तराधिकारी पूरा—पूरा क्षति पूर्ति का उत्तर दायी होगें। तफशील प्रकाशित भूमि सरकारी भूमि, वन भूमि या सरकारी अधिग्रहण क्षेत्र से बाहर है तथा बिक्रेता एवं क्रेता यह घोषणा करते है कि दस्तावेज में उनके द्वारा संलग्नित सभी तथ्य बिल्कुल सही है तथा जो कागजात का छाया प्रति संलग्न है बिल्कुल सही है, यदि किसी प्रकार का गलत साबित होता है तो सारी जिम्मेदारी पक्षगणों की होगी।

रीता देवी

(4)

अतः हमलोग अपनी – अपनी शरीर ओर मन की स्वस्थ्यता से मूल्य का कुल रूपये पाकर यह केवाला दलिल निस्पादन कर दिया जो समय पर काम आवे ईति अंग्रेजी सन 2019 साल दिनांक 26/04/2019। पक्ष को दलिल पढ़कर सुनाया। **प्रारूपकर्ताः–श्री देवाशिष सरकार मो0 चास।** प्रमाणित किया जाता है कि प्रत्येक व्यक्ति जिनका छाया चित्र इस दस्तावेज में लगा है, के बाये हाथ के अंगूलियों के निशान मेरे समक्ष लिया गया है।

शीता देवी
29/4/19

गवाहगण

(i) Amar nath Chakraborty
Pe:- Baidya nath Chakraborty
Main Road, Chas (Bokaro)
29/4/19

(2) Madan Lal Jaiswal
Lt- Raughnath Pr. Jaiswal
Kaar Singh collony
Chas,
Bokaro
29/4/19

रीता देवी